उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-12
संख्या-69/2024/1053/23-12-2024-23-12002-002-05-2024
दिनांकः 16 अक्टूबर, 2024

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी के 04 चालू कार्यों हेतु धनराशि आवंटन से सम्बन्धित शासनादेश सं0-65/2024/001-958-23-12-2024-23-12002-002-05-2024 दिनांक 10.10.2024 के प्रस्तर सं0-2 पर अंकित 04 चालू कार्य (मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत प्रा0ख0, बागपत के 01, नि0ख0-2, गाजियाबाद के 02 तथा प्रा0ख0, बुलन्दशहर के 01 चालू कार्य) हेतु रूपये दो करोड उन्नीस लाख चार हजार मात्र की धनराशि आवंटित की गयी है जिसका अंकों में उल्लेख करते हुए समय टंकक त्रुटिवश रू0 219400.00 अंकित हो गया है जो वास्तव में रू0 21904000.00 (रूपये दो करोड उन्नीस लाख चार हजार मात्र) है।

अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में अंकित धनराशि रू0 219400.00 के स्थान पर रू0 21904000.00 (रूपये दो करोड उन्नीस लाख चार हजार मात्र) पढ़ा जाये।

2. उक्त शासनादेश सं0-65/2024/001-958-23-12-2024-23-12002-002-05-2024 दिनांक 10.10.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव

सं0 व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।